राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2222403/2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :एफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 23199-23249 दिनांक: 22.11.23

जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक,
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः–विधानसभा चुनाव, 2023, मतदान दिवस (25.11.2023) को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कार्यों पर अवकाश रखने बाबत्।

संदर्भः–सचिव, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र कमांक 78 / EPS / 2023 दिनांक 10.10.2023 एवं 78 / EPS / 2023 दिनांक 11.10.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के कम में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ने अपने प्रेस नोट दिनांक 11.10.2023 (संलग्न) के द्वारा राज्य में विधानसभा आम चुनाव, 2023 कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जिसके अनुसार मतदान हेतु तिथि दिनांक 25.11.2023 (शनिवार) नियत की गई है।

भारत सरकार के संशोधन अधिनियम–21 / 96 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में धारा 135 'ख' में प्रदत्त के अनुसार मतदान दिवस दिनांक 25.11.2023 के दिन इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश देय होगा।

अतः उक्त सूचना की जानकारी आपके अधीनस्थ कार्यालय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का श्रम करावें, ताकि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत श्रमिकों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:एफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 23250 - 23203. दिनांक: 22.11.23

प्रतिलिपीः– 23250-

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
6. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद् / पालिका, समस्त राजस्थान।
7. सुश्री रचना सैनी, स्टेट एमआईएस मैनेजर (IRGY), निदेशालय, जयपुर को IRGY पोर्टल पर अपलोड एवं ईमेल करने बाबत्।
8. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

D/LETTER 2nd/ A/529